

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.डेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

60 / 2018
01-11-2018

साबलाल पुत्र मोती मीना निवासी सहादतनगर, तह० उनियारा जिला टोंक राज०
हरगोविन्द पुत्र मोती मीना निवासी सहादतनगर, तह० उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट्स

बनाम

तहसीलदार उनियारा मु० अलीगढ़ जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा
दिनांक 11.09.2018 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956



- (1) श्री गजेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट्स
- (2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय


दिनांक 10-1-2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 11.09.2018 के द्वारा अपीलान्ट्स को भूमि खसरा नम्बर 362 वाके ग्राम सहादतनगर के 0.01 रकबे पर तारबंदी कर बाड़ा बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया। इस कारण निर्णय एक पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ओर न ही अपीलान्ट्स की प्रोपर तामील करवाई है। निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं करवाई है ओर न ही पटवारी हल्का साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा किस तारीख को रिपोर्ट तैयार की, उक्त तारीख का अंकन भी नहीं है। अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है।

- 840 -


जिला कलेक्टर
टोंक


ओर न ही अपीलान्ट्स का किसी चरागाह भूमि से कोई सम्बन्ध है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट्स की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अपीलान्ट्स ने अपील मीमो के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है। अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 14/2017 से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट्स की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट्स द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 362 वाके ग्राम सहादतनगर के 0.01 रकबे पर कब्जा कर व तारबंदी कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 14 निर्णय दिनांक 29-8-2017 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार उनियारा ने पत्र क्रमांक 9 दिनांक 8-1-2019 से अवगत करवाया है कि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाया है। विवादित भूमि चरागाह भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.09.2018 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10-1-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आर.सी.डेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक